

वन भूमि का औचित्य प्रमाण पत्र

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

परियोजना का नाम ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 हे० सिविल, कुल 0.981 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

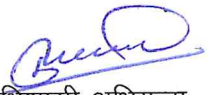
उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश सं० 147/111 (2)18-05 (एम०एल०ए०)/2017 दिनांक 09/2/2018 द्वारा 1.300 मी० लम्बाई में प्राप्त हुई है। जिसके परिपेक्ष में प्रस्तुत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग ग्वालदम से प्रारम्भ होगा तथा केन्द्रीय विद्यालय पर समाप्त होगा।

यह मार्ग ग्राम ग्वालदम स्टेट को केन्द्रीय विद्यालय से जोड़ेगा। मार्ग का सर्वेक्षण लो०नि०वि० की विशिष्टियों के अनुरूप किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये यातायात का होना अति आवश्यक है। यातायात न होने के कारण उक्त विद्यालय का निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है। इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए यहां मार्ग निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। यदि यातायात की सुविधा इस क्षेत्र में उपलब्ध हो जाती है तो, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी जिससे उनका समय अनावश्यक नष्ट होने से बाचाया जा सकेगा।

इस समरेखण पर उक्त परियोजना के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु किमी० 1 में स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका जी०पी०एस० मान $79^{\circ}33'19''N$ $30^{\circ}0'38,32''N$ $79^{\circ}33'12,35''E$ $30^{\circ}0'46,25''N$ हैं।

प्रस्तुत मार्ग के निर्माण हेतु वृक्षों की गणना 7 मी० में कम से कम वृक्षों को क्षति पहुंचाते हुए की गई है। इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्रवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। इस मार्ग के बन जाने से क्षेत्र की अधिक से अधिक जनसंख्या को लाभ मिलेगा। उपरोक्त मार्ग में कुल 0.981 हे० वन भूमि पड़ती है, जिस हेतु प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
थराली, (चमोली)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
थराली, (चमोली)


अमानि 12-02-19
नि० ख० लो० नि० वि०
थराली (चमोली)


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


प्रभागीय कर्ताधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)